

# कार्यालय निदेशक, माध्यमिक शिक्षा राजस्थान, बीकानेर

## ::कार्यालय आदेश::

इस कार्यालय के आदेश क्रमांक शिविरा/माध्य/संस्था/बी-2/45002/प्रधाना/स्थाना./2019 दिनांक 29.09.2019 द्वारा श्रीमती रेणु जैन, प्रधानाचार्य, राजकीय उच्च माध्यमिक विद्यालय मालाखेड़ा जिला अलवर को बी.जे.जे, राजकीय उच्च माध्यमिक विद्यालय, केरिया जिला जालौर किया गया था जिसके विरुद्ध श्रीमती जैन द्वारा माननीय राजस्थान उच्च न्यायालय, जयपुर में एस.बी.सिविल याचिका संख्या 17068/2019 रेणु जैन बनाम राजस्थान राज्य दायर की गई।

माननीय न्यायालय द्वारा पारित निर्णय दिनांक 16.10.2019 द्वारा आलोच्य आदेश दिनांक 29.09.2019 का प्रभाव एवं क्रियान्वयन याचिकार्थी श्रीमती रेणु जैन के सम्बन्ध में माननीय न्यायालय के आगामी आदेश तक स्थगित कर दिया गया है। श्रीमती जैन द्वारा प्रस्तुत प्रार्थना-पत्र एवं उनकी विकट पारिवारिक परिस्थितियों को मद्देनजर रखते हुए उनका समायोजन राजकीय बालिका उच्च माध्यमिक विद्यालय सीकरी, नगर जिला भरतपुर में प्रधानाचार्य के रिक्त पद पर किया जाता है।



(नथमल डिडेल)

आई.ए.एस

निदेशक माध्यमिक शिक्षा  
राजस्थान, बीकानेर

क्रमांक: शिविरा-मा./संस्था/बी-2/एसबीसिया/रेणु जैन/17068/2019 दिनांक: 24.10.2019

प्रतिलिपि निम्नांकित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु:-

1. विशिष्ट सहायक, माननीय शिक्षा राज्य मंत्री (स्वतन्त्र प्रभार) प्राथमिक एवं माध्यमिक शिक्षा, राजस्थान सरकार, जयपुर।
2. निजी सचिव, प्रमुख शासन सचिव, स्कूल शिक्षा एवं भाषा विभाग, राजस्थान सरकार, जयपुर।
3. संयुक्त निदेशक, स्कूल शिक्षा, जयपुर/भरतपुर संभाग, जयपुर/भरतपुर।
4. मुख्य जिला शिक्षा अधिकारी, अलवर/भरतपुर।
5. जिला शिक्षा अधिकारी, (मुख्यालय) माध्यमिक, अलवर/भरतपुर।
6. सम्बन्धित मुख्य ब्लॉक शिक्षा अधिकारी, को निर्देशित किया जाता है कि वे आदेश की पालना सुनिश्चित करावें।
7. जिला शिक्षा अधिकारी (विधि) माध्यमिक, जोधपुर।
8. सहायक निदेशक, विधि अनुभाग कार्यालय हाजा।
9. सिस्टम एनालिस्ट कम्प्यूटर अनुभाग को विभागीय वेबसाइट पर अपलोड हेतु।
10. सम्बन्धित प्रधानाचार्यों को आदेश की पालनार्थ।
11. निजी/रक्षित पत्रावली।



-संयुक्त निदेशक(कार्मिक)